भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3995

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

शिक्षा ऋण का एनपीए

3995. श्री राकेश राठौर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत 10 वर्षों के दौरान शिक्षा ऋण हेतु प्राप्त आवेदनों और स्वीकृत आवेदनों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या तथा स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एनपीए में परिवर्तित हुए शिक्षा ऋणों (राशि सहित) की संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ग) क्या कई बैंकों ने अपने शिक्षा ऋण एनपीए को निजी परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनियों को बेच दिया है और इस संबंध में वसूली एजेंटों की सेवाएं ली हैं;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा वसूल की गई ऋण राशि कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि निजी कंपनियां ऋण राशि वसूलने के लिए बल प्रयोग का सहारा ले रही हैं और यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उनके पास अपेक्षित सूचना नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए विगत 10 वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के शिक्षा ऋणों के लिए बकाया खातों और ऋण राशि तथा वर्ष-वार सकल एनपीए की राज्य-वार संख्या क्रमश: अनुबंध-I और अनुबंध-II में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित कंपनियों और उनके वसूली एजेंटों द्वारा जबरन वसूली की पद्धतियों के विरुद्ध निम्नलिखित अनुदेश जारी किए है:

i. 'मास्टर परिपत्र-ऋण और अग्रिम-सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' पर आरबीआई के 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र डीबीआर.सं.डीआईआर.बीसी.10/ 13.03.00/2015-16 के 'उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश' पर पैरा 2.5.2 (v) (ग) के तहत बैंकों को यह सलाह दी है कि उन्हें अनुचित उत्पीड़न का

सहारा नहीं लेना चाहिए अर्थात विषम समय में उधारकर्ताओं को लगातार परेशान करना, ऋणों की वसूली के लिए बाहुबल का प्रयोग करना आदि।

(इसी प्रकार के निर्देश एनबीएफसी को मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023, 19 अक्टूबर, 2023 के 'उचित व्यवहार संहिता' पर अध्याय VII के पैरा 45.7.3 के माध्यम से जारी किए गए हैं)।

ii. इसके अतिरिक्त, परिपत्र के 'बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंटों से संबंधित दिशानिर्देश' के पैरा 2.6.2 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे वसूली एजेंटों को तैनात करने के लिए सम्यक तत्परता प्रक्रिया अपनाएं, ताकि विधिवत सूचना और उपयुक्त प्राधिकार सुनिश्चित किया जा सके, बैंकों को चाहिए कि वे वसूली एजेंसी को चूक के मामले अग्रेषित करते समय उधारकर्ता को वसूली एजेंसी फर्मों/कंपनियों के ब्यौरे के बारे में सूचित करें। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वसूली एजेंटों द्वारा ग्राहकों को की गई कॉलों की सामग्री/पाठ की रिकॉर्डिंग हो और इसके विपरीत, बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंसी फर्मों/कंपनियों के अद्यतन ब्यौरे बैंक की वेबसाइट पर डाले जाने चाहिए।

iii. बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे वसूली एजेंटों सहित अपने सेवा प्रदाताओं की कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सख्ती से यह सुनिश्चित करें कि वे या उनके एजेंट अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध मौखिक या शारीरिक किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा न लें, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या देनदार के परिवार के सदस्यों, संदर्भियों और दोस्तों की गोपनीयता में हस्तक्षेप करने की मंशा से मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजना, धमकी देना और/या गुमनाम कॉल करना, अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्ता को लगातार कॉल करना और/या उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल करना, झूठे और भ्रामक अभ्यावेदन करना आदि किए गए कार्य शामिल हैं।

'वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग- वसूली एजेंटों को नियोजित करने वाली विनियमित संस्थाओं की जवाबदेही' पर 12 अगस्त 2022 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर.ओआरजी. आरईसी.65/21.04.158/2022-23 के अंतर्गत उपर्युक्त अनुदेश जारी किए गए हैं।

(मास्टर निदेश-) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियम) निदेश, 2023 पर 19 अक्टूबर, 2023 के आरबीआई के मास्टर निदेश डीओआर.एफआईएन.आरईसी.सं. के अनुबंध XIII के पैरा 5.7.3 के अंतर्गत सभी एनबीएफसी को इसी प्रकार के अनुदेश जारी किए गए हैं।

*****

शिक्षा ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

खातों की वास्तविक संख्या और बकाया राशि करोड़ रुपये में है

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31 मार्च, 2025		31 मार्च,, 2024		31 मार्च,, 2023		31 मार्च,, 2022		31 मार्च,, 2021		31 मार्च,, 2020		31 मार्च,, 2019		31 मार्च,, 2018		31 मार्च,, 2017		31 मार्च,, 2016	
	खातों की सं.	बकाय राशि	खातों की सं	बकाय राशि	खातों की सं	बकाय राशि	खातों की सं	बकाय राशि	खातों की सं	बकाय राशि	खातों की सं	बकाय राशि	खातों की सं	बकाय राशि	खातों की सं	बकाय राशि	खातों की सं	बकाय राशि	खातों की सं	बकाय राशि
छत्तीसगढ	18,112	1,068	17,975	932	18,199	837	18,029	757	19,497	763	20,977	762	21,080	687	20,898	625	21,533	654	21,810	602
मध्य प्रदेश	68,833	4,145	69,025	3,530	68,223	3,156	66,599	2,736	68,083	2,692	73,991	2,777	74,287	2,493	78,742	2,370	82,805	2,216	86,717	2,176
उत्तराखंड	23,990	1,443	22,093	1,211	20,390	1,055	19,204	920	19,814	868	22,269	894	22,589	816	23,232	767	24,146	730	26,507	731
उतार प्रदेश	1,18,256	6,575	1,15,345	5,531	1,08,934	4,884	1,03,842	4,346	1,09,756	4,272	1,23,391	4,536	1,28,300	4,293	1,35,732	4,163	1,33,203	3,915	1,43,399	3,925
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	590	34	472	29	419	25	443	22	385	19	397	20	382	17	494	19	409	14	489	15
बिहार	63,067	2,848	69,175	2,682	72,942	2,697	78,188	2,771	86,092	3,000	1,03,380	3,301	1,17,641	3,483	1,17,430	3,511	1,16,791	3,526	1,22,684	3,447
झारखंड	42,678	2,339	41,079	2,003	40,095	1,896	39,107	1,754	40,129	1,749	44,397	1,811	45,096	1,739	47,118	1,703	48,542	1,645	50,240	1,597
ओडिशा	43,566	2,185	44,405	1,888	40,591	1,711	39,654	1,554	41,393	1,560	46,646	1,557	50,828	1,583	56,914	1,635	59,563	1,619	64,054	1,672
सिक्किम	563	34	484	29	458	25	478	17	468	19	497	20	489	17	479	17	582	15	874	15
पश्चिम बंगाल	1,13,592	5,149	99,997	4,137	81,362	3,312	62,174	2,641	59,043	2,443	62,630	2,402	63,027	2,185	64,543	2,019	69,489	1,837	79,471	1,771
चंडीगढ़	5,680	718	5,679	605	4,811	430	4,297	332	4,274	276	4,176	275	4,563	257	4,472	234	4,454	222	4,596	194
हरियाणा	33,664	2,846	32,165	2,396	31,096	2,118	30,218	1,811	31,120	1,695	34,741	1,743	35,693	1,592	39,207	1,506	40,541	1,368	39,064	1,218
हिमाचल प्रदेश	13,652	644	12,813	559	12,650	504	12,684	461	13,694	463	16,691	517	17,108	490	15,920	435	16,086	407	16,675	396
जम्मू और कश्मीर	16,248	850	15,609	743	14,687	637	13,937	547	14,464	545	15,201	530	14,913	465	14,554	407	13,034	344	12,572	311
लद्दाख	51	5	50	5	47	4	37	3	41	2	45	2	-	-	-	-	-	-	-	-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	46,905	5,171	43,084	4,153	38,758	3,178	35,153	2,509	33,918	2,184	35,188	2,167	33,885	1,909	33,625	1,677	31,338	1,387	31,463	1,249
पंजाब	30,173	2,599	30,490	2,364	28,278	2,072	26,115	1,750	28,035	1,666	33,194	1,808	33,506	1,608	33,830	1,472	34,556	1,418	34,575	1,291
राजस्थान	46,208	3,486	45,128	2,924	44,502	2,542	45,265	2,229	46,757	2,150	52,193	2,187	53,987	1,972	57,038	1,832	58,958	1,684	63,843	1,656
अरुणाचल प्रदेश	389	17	371	16	369	14	391	14	585	26	675	29	592	21	603	18	664	18	771	20
असम	17,048	844	15,322	686	13,910	576	13,355	515	14,304	539	15,830	570	15,945	534	16,585	525	17,221	483	24,949	481
मणिपुर	1,231	73	1,056	58	957	45	1,246	44	988	43	1,067	44	964	40	1,045	41	1,099	38	1,300	40
मेघालय	3,753	241	3,294	181	3,366	190	3,258	157	3,465	148	3,673	141	3,460	122	3,338	107	2,835	86	2,745	79
मिजोरम	211	14	191	10	211	9	220	8	333	13	376	13	490	15	602	20	667	22	790	25
नागालैंड	585	28	472	21	393	17	360	16	523	22	571	22	489	19	446	15	434	14	692	19
त्रिपुरा	3,199	135	3,142	119	3,005	100	3,034	93	3,234	95	3,622	104	3,501	105	3,495	104	11,238	101	21,206	113
आंध्र प्रदेश	1,29,133	11,932	1,94,273	11,059	1,35,180	8,377	94,548	6,230	90,891	5,673	96,997	5,483	96,246	4,920	99,804	4,708	1,00,281	4,294	1,09,293	3,859
कर्नाटक	2,49,637	13,609	2,37,637	11,218	2,19,793	9,487	2,02,509	7,878	1,86,641	7,024	2,13,299	7,536	2,15,261	6,901	2,18,818	6,528	2,12,834	5,777	2,08,867	5,099
केरल	2,92,384	17,604	2,79,051	15,196	2,66,429	12,921	2,55,683	10,625	2,52,051	9,627	2,79,794	9,792	2,98,256	9,445	3,28,084	9,783	3,37,949	9,372	3,48,874	9,162
लक्षद्वीप	13	0	10	0	14	1	19	1	13	1	21	1	15	1	58	2	16	0	19	0
पुदुचेरी	6,650	355	6,882	324	7,856	307	8,317	302	8,833	303	10,021	309	11,501	319	13,348	338	13,615	332	14,279	325
तमिलनाडु	3,48,168	14,634	4,07,292	14,171	4,78,786	14,306	5,26,957	14,838	5,60,219	15,012	6,45,284	15,937	7,06,181	16,370	8,10,018	17,182	8,31,345	16,816	8,56,214	15,994
तेलंगाना	85,579	11,187	1,05,392	9,738	76,342	7,269	59,420	5,238	56,684	4,503	59,846	4,357	60,199	4,099	65,279	4,198	68,410	4,138	77,081	3,837
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	632	44	576	37	502	30	459	26	451	25	502	25	502	24	523	23	396	15	423	14
गोवा	5,108	481	4,985	407	4,372	339	4,151	276	4,285	239	4,645	219	4,708	183	4,393	165	3,427	129	3,246	113
गुजरात	59,457	6,360	58,838	5,441	55,219	4,389	49,157	3,473	48,414	3,091	52,255	3,023	50,528	2,539	49,914	2,191	47,893	1,846	49,385	1,631
महाराष्ट्र	2,28,848	19,541	2,17,830	15,698	1,96,193	11,605	1,78,240	9,001	1,78,818	8,134	1,96,525	8,176	1,98,429	7,282	2,04,943	6,673	1,94,359	5,986	1,98,251	5,417

स्रोतः आरबीआई

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए (स्थिति के अनुसार)-शिक्षा ऋण (राशि करोड़ रुपये में)	
स्थिति के अनुसार	**राशि**
31-03-2016	5,006
31-03-2017	5,339
31-03-2018	6,071
31-03-2019	6,323
31-03-2020	6,017
31-03-2021	5,801
31-03-2022	5,741
31-03-2023	5,815
31-03-2024	4,338
31-03-2025*	2,634

स्रोतः आरबीआई

* मार्च 2025 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं